न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 53/2022

1. बाबू चीता पुत्र श्री बहादुर चीता जाति चीता मुसलमान उम्र 77 वर्ष निवासी भूखण्ड/मकान संख्या 18 हनुमान कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर
2. सकीना पत्नी श्री बाबू चीता उम्र 75 वर्ष निवासी भूखण्ड/मकान संख्या 18, हनुमान कॉलानी, ब्यावर जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. आसमा पत्नी श्री शमशेर चीता जाति मुसलमान निवासी भूखण्ड/मकान संख्या 18 हनुमान कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर ।
2. निसार पुत्र श्री शमशेर चीता जाति मुसलमान निवासी भूखण्ड/मकान संख्या 18 हनुमान कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर ।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 12.09.2022 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण ब्यावर

आदेश दिनांक :– 21.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण 77 वर्षीय वृद्ध पुरूष एवं महिला है जिसके बेटे की पत्नि व पोते, आसमा पत्नी श्री शमशेर व श्री निसार पुत्र श्री शमशेर है। अपीलान्ट का ब्यावर में स्वयं का खरीद शुदा रिहायशी मकान है जो उसको एवं उसके परिवार का एक मात्र निवास स्थान है। अप्रार्थीगण वर्तमान में प्राथी संख्या 1 के स्वामित्वशुदा जायदाद की तल मंजिल पर रहवास कर रहे है व जिन दोनो मां बेटो ने प्रार्थीगण का जीवन नर्क बना रखा है । दोनो पति पत्नि को अप्रार्थीगण द्वारा दी जाने वाली रोज–रोज की मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं से इस कदर परेशान हो चुके है कि अब जीने की इच्छा ही मर गई है और अब तो एक–एक पल जीने में दम घुटता है । अपीलान्ट से गाली गलौच करता है । अपीलान्ट द्वारा माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संरक्षण पाने एवं अधिनियम की धारा 23(1) के तहत उक्त अचल सम्पति रहवासीय मकान के तल मंजिल पर रहवास कर रहे है । तल मंजिल का कब्जा रेस्पोडेन्ट से पाने की अधिकारिता के तहत न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण, ब्यावर (अजमेर) के यहॉ रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.09.2022 से अप्रार्थीगण सम्पत्ति वाके भूखण्ड संख्या 18 हनुमान कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर में अपने स्वयं के पृथक रहवास की व्यवस्था करने तक प्रार्थीगण के वर्तमान रहवास का ही

जिला कलक्टर
अजमेर

उपयोग उपभोग 12 माह तक करेंगे व 12 माह बाद प्रार्थीगण के मालिकाना हक की सम्पत्ति में किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग नही करेंगे तथा आवासीय सम्पत्ति को प्रार्थीगण को सुपुर्द करेंगे इस आदेश से असन्तुष्ट होकर आक्षेपित आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए अपीलान्ट द्वारा इसे अपास्त कर भूखण्ड संख्या 18 हनुमान कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर की तल मंजिल स्थित परिसर का कब्जा रेस्पोडेन्ट एवं उसके परिवार के सदस्यों से दिलवाया जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाने की इस्तदुआ के यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों. को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट स्वयं उपस्थित आये। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थीगण ने अपने अपील कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि मैं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आसमा अपीलार्थीगण की पुत्र वधु है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निसार अपीलांन्ट का पौत्र है जो वर्तमान में अपीलान्ट संख्या 1 के स्वामित्वशुदा जायदाद की तल मंजिल पर रहवास कर रहे है व जिन दोनों माँ बेटो ने प्रार्थीगण का जीवन नर्क बना रखा है। हम दोनो पति–पत्नी को रेस्पोडेन्ट द्वारा हमें दी जाने वाली रोज–रोज की मानसिक एवं शारीरिक यातनाओ से इस कदर परेशान हो चुके है कि अब जीने की इच्छा ही मर गई है ओर अब तो एक–एक पल जीने में दम घुटता है, नर्क जैसा लगता है। अब तो बस यही इच्छा रहती है कि हम दोनो पति–पत्नी एक साथ ही इस दुनिया को अलविदा कर देवे । अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट जिस मकान में रह रहे है वह आवासीय सम्पत्ति वाके भूखण्ड संख्या 18, हनुमान कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर अपीलार्थी संख्या 1 ने अपने जीवन काल में वर्ष 1997 में अपनी स्वयं अर्जित आय से अपने भविष्य में उपयोग–उपभोग वास्ते जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की थी जो कि मात्र एक भूखण्ड के रूप में थी। अपीलान्ट संख्या 1 राजस्थान पथ परिवहन निगम का सेवानिवृत्त कर्मचारी है जो वर्तमान में अपनी वृद्धा पत्नी अपीलार्थी संख्या 2 के साथ उपरोक्त मकान में निवास कर रहा है। अपीलार्थी संख्या 1 ने अपने पूरे जीवन की पाई–पाई की बचत करते हुए अपने जीवन भर की कमाई लगाकर उक्त भूखण्ड खरीद किया और ये सोचकर उस पर निर्माण कराया कि कठोर तपस्या परिश्रम और मेहनत से बनाई गई उक्त सम्पत्ति/आवासीय मकान में अपने जीवन के अंतिम चरण और मेहनत से बनाई गई उक्त सम्पत्ति/आवासीय मकान में अपने जीवन के अंतिम चरण में इसका उपयोग–उपभोग करते हुए सकून से रहेगा। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निसार अपीलान्ट के बडे पुत्र शमशेर का पुत्र है जो कि अपने पिता के कहने में नहीं था और न ही वह कभी अपीलान्ट के कहने में ही रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निसार शुरू से ही गलत संगत में पड गया था व उसका उठना–बैठना असामाजिक तत्वों के साथ रहा है वही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आसमा अर्थात शमशेर की पत्नी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निसार की माता है ने हमेशा गलत कामों में अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का साथ दिया । अपीलान्ट के पुत्र शमशेर ने अपनी पत्नी एवं पुत्र निसार को लाख समझाने की कोशिश की परन्तु निसार

जिला कलक्टर
अजमेर

व उसकी माता आसमा का व्यवहार अपने पिता/पति के साथ भी बहुत क्रूरतापूर्वक रहता था। वर्ष 2019 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निसार व उसके साथियों के विरूद्ध ब्यावर शहर थाना में एफ0आई0आर0 संख्या 705 दिनांक 05.08.2019 अन्तर्गत धारा 307 आई0पी0सी0 के तहत दर्ज होने के बाद से अपीलान्ट का पुत्र शमशेर अपने बेटे की बढती आपराधिक गतिविधियों के चलते अत्यधिक विचलित रहने लगा । जहॉ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 निसार को उक्त केस में गिरफ्तारी बाद 06 से 07 महीने न्यायिक हिरासत में रहने के बाद कोर्ट से बेल मिल गई वही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जेल से छूटने के बाद और अधिक क्रूर और खूँखार हो गया, मानो जैसे उसे आतंक फैलाने का सर्टिफिकेट मिल गया हो। जेल से जमानत मिलने के बाद वह अपने पिता के सामने ही हम वृद्ध दादी दादा को गाली गलौच करता, हमे धमकाता, तो वही उसकी माता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी हमें भला बुरा कहा जाता । अब तो निसार बात बात पर किसी को भी जाने से मारने की धमकी देता और यह कहता कि कोई उसका कुछ नही बिगाड़ सकता है। अपने पुत्र के बढते आतंक के सामने अपीलान्ट का पुत्र भी कमजोर पडता जा रहा था इस दौरान गत वर्ष 2021 में कोरोना के चलते अपीलान्ट के पुत्र शमशेर का निधन हो गया जिसके बाद हम दोनो वृद्ध अपीलान्ट पर जैसे मुसीबतो का पहाड़ टूट पडा हो। अपीलान्ट की पुश्तैनी सम्पत्ति ग्राम हटून्डी बाडिया, तहसील अजमेर जिला अजमेर में स्थित है जो पुश्तैनी मकान बना हुआ है। जिस पुश्तैनी सम्पत्ति में अप्रार्थीगण का भी उनके देय अनुसार हिस्सा निहित है। जहाँ रेस्पोडेन्ट निवास कर सकते हैं वही अपीलान्ट संख्या 1 की उक्त सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट का न तो कोई हक बनता है न ही कोई विधिक अधिकार है अपीलार्थी संख्या 1 की खरीदशुदा सम्पत्ति में बिना अपीलान्ट की अनुमति में जबरदस्ती रहते हुए व अपीलार्थी की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए इस पर अपना आधिपत्य एवं जमावडा बढावे व इस सम्पत्ति को येन–केन प्रकारेण हथियाने के प्रयास करे । विवादित निर्णय दिनांक 12.09.2022 जो पारित किया गया है वह पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों, रेस्पोडेन्ट द्वारा हम अपीलार्थीगण पर इस वृद्धावस्था के दौरान हमारे साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार के चलते हमारी मानसिक एवं शारीरिक स्थिति को नजर अंदाज करते हुए एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर पारित फरमा दिया गया है। रेस्पोडेन्ट को 12 माह का जो समय सम्पत्ति को खाली करने के लिए दिया गया है जो कि प्रावधानों के विपरीत जो कर दिया है, रेस्पोडेन्ट को 12 माह की अवधि की छूट दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाते हुए विवादित निर्णय/आदेश दिनांक 12.09.2022 में अपीलार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूखण्ड/सम्पत्ति संख्या हनुमान कॉलोनी ब्यावर जिला अजमेर को खाली किए जाने बाबत रेस्पोडेन्ट को दी गई 12 माह की समयावधि को घटाने का आदेश पारित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों के इस प्रावधान में दी गई 30 दिनांक को समयावधि में दोनो रेस्पोडेन्ट को अपने खर्चे/स्तर पर ग्राम हटून्डी बाडिया, तहसील अजमेर में स्थित पुश्तैनी सम्पत्ति/मकान में शिफट होने या फिर अपने खर्चे पर किसी किराये के मकान में शिफ्ट होने के लिए आदेश पारित करे।

जिला कलक्टर
अजमेर

रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब ने देकर सीधे ही निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वर्तमान में भूखण्ड संख्या 18, हनुमान कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर में ही निवास करते है उक्त सम्पत्ति अपीलान्ट की स्वामित्व की है क्योंकि उक्त जायदाद में निर्मित मकान से रेस्पोडेन्ट के पति व पिता ने भी अपनी स्वअर्जित आय से पैसा लगाया था । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपनी पिता की मृत्यु के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी स्वयं निभा रहा है तथा मेहनत मजदूरी कर अपनी विधवा माता का पालन पोषण कर रहा है तथा किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर अपनी बहिन का विवाह किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मेहनत मजदूरी कर अपना घर खर्च चलाता है अगर वह गलत गतिविधियों में लिप्त होता तो वह पैसो के दम पर स्वयं का मकान खरीद लेता और सुकून से रह सकता था क्योकि उक्त मकान रेस्पोडेन्ट का भी हक हिस्सा निहित है। इसलिए उक्त मकान में रेस्पोडेन्ट रहने के अधिकारी है । अपीलान्ट रेस्पेडेन्ट के पति व पिता शमशेर की मृत्यु के बाद उन्हे उक्त घर से बाहर निकालने को आमादा है। अपीलान्ट का अपने छोटा पुत्र छोटू का पुत्र वसीम चीता जो कि 5–7 केस में आरोपी है और इन दिनो में 3–4 दिल जेल में रहकर आया था तथा कही तरह के अवैध धंधे अपने दादा की नजर में रहकर कर रहा है । छोटे पुत्र व पोत्र के बहकावे में आकर न्यायालय को गुमराह करते हुए भरण पोषण अधिनियम की आड़ में रेस्पोडेन्ट को जायदाद से बेदखल करने का झूठा प्रकरण प्रस्तुत किया है जो इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अतः अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने एवं न्यायालय का कीमती समय खराब करने योग्य बेबुनियाद झूठी एवं विधि विरूद्ध अनुतोष के प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट को विशेष हर्जा खर्चा दिलवाया जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमावें।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यों हमारे समक्ष व्यक्त कथनों, उनकी वृद्धावस्था, अस्वस्थता एवं उनकी वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.09.2022 न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। अपील अपीलान्ट इस हद तक आंशिक स्वीकार की जाती कि रेस्पोडेन्ट अपने स्वयं के पृथक रहवास की व्यवस्था करने तक अपीलान्ट के वर्तमान रहवास का ही उपयोग उपभोग न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ब्यावर जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2022 से 6 माह तक करेगे व छह माह बाद अपीलान्ट के मालिकाना हक की उक्त सम्पत्ति भूखण्ड संख्या 18 हनुमान कॉलोनी, ब्यावर जिला अजमेर में किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग नही करेंगे तथा आवासीय सम्पति को खाली कर अपीलान्ट को सुपुर्द करेगें। अपीलान्टगण को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक परेशानी कतई नहीं हो इसका पूर्ण रूप से ख्याल रखें। रेस्पोडेन्टगण को जरिये इस आदेश पाबन्द किया जाता है कि वे इस सम्पति बाबत किसी प्रकार का लडाई–झगडा, वाद–विवाद नहीं करें। इस आशय की लिखित अण्डर टेंकिग न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण अधिकरण एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट ब्यावर (अजमेर) के समक्ष आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पीठासीन अधिकारी न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण ब्यावर (अजमेर) आदेश की पालना सुनिश्चित करावें, आदेश की तनिक भी अवहेलना होने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर